

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, भदौ १७ गते २०३१ साज

श्री ५ को सरकार
अर्थ मन्त्रालयको
सूचना

कर्मचारी सन्चयकोष ऐन, २०१६ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारी सन्चयकोषले सम्झौता गरेको कानून किताब व्यवस्था समितिका कर्मचारीहरूको संचयकोषमा जम्मा भएको रकमको साँवा र व्याज सम्बन्धमा २०२४।४।१ देखि उक्त ऐन लागू हुने गरी श्री ५ को सरकारले घोषित गरेको छ।

आज्ञाले-

भरतबहादुर प्रधान

श्री ५ को सरकारको सचिव

(७)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

रूपचा लाफ्ट

६ मास

महोदय महाराष्ट्र कि. ५ दि.

म.स. १६०९ दि. ०१ दि. महाराष्ट्र

महोदय कि. ५ दि.
महोदय महाराष्ट्र

महोदय

महोदय (१) महाराष्ट्र कि. ११ महाराष्ट्र कि. ३१०९, महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महाराष्ट्र

महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र

४०२

१०४

(०)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।